आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

न्यूनतम मजदूरी अपील वाद संख्या 01/09

अरूण कुमार सिंह .....अपीलार्थी

वनाम

राज्य सरकार एवं अन्य।

–आदेश–

25.7.12

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी एवं विपक्षी दीपू सिंह के वंशज है। दिपू सिंह को दो पुत्र मटरू मंडल एवं कंचन मंडल थे। अपीलार्थी मटरू मंडल तथा विपक्षी कंचन मंडल के उत्तराधिकारी है। उनके बीच आपसी बटबारे में संपत्ति का बटबारा होकर अपने–अपने जमीन पर हिस्सेदार दखलकार हुए। विपक्षी अपीलार्थी के जमीन पर जबरदस्ती घर बना रहा था इसलिए उनके भाई गोरेलाल सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में धारा 144 सी0आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया जिसे वाद में धारा 145 में तब्दील (परिवर्तित) कर दिया गया जिसका वाद सं0 161/एम0/93 है परन्तु 26.06.93 को उक्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। उक्त कार्यवाही के स्थगित होने के बाद विपक्षी तथा उनके फरीकेन पुनः उस विवादित भूमि पर घर बनाना शुरू कर दिया। अपीलार्थी के प्रति–वाद करने पर विपक्षी उनसे झगड़ने लगे। अपीलार्थी के भाई गोरेलाल सिंह ने संबंधित थाने में एक लिखित सूचना दी जिसे जांचने पर जमीन विवादित पाया गया जिसका प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को धारा 107 का कार्यवाही चलाने हेतु प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने वाद सं0 675 (एम0)/94 द्वारा 107 की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी।

अपीलार्थी ने मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में विपक्षी के विरूद्व अपराधिक मामला भी दिनांक 29.07.95 को दायर किया है जिसका वाद सं0 264 सी0/95 है। इन्हीं कारणों से बदले की भावना में विपक्षी ने श्रम अधीक्षक, खगड़िया के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया तथा उसे बिना जांच करवाये ही श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चौथम ने अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी का वाद दायर कर दिया जिसे अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल पदाधि

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

ाकारी चौथम के न्यायालय में हस्तान्तरित कर दिया।

अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी सोमारी सिंह अच्छे खासे किसान है वे कभी मजदूर का काम नहीं किया इसलिए अपीलार्थी के पास उनके बकाये मजदूरी का भुगतान नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उन्होंने निम्न न्यायालय में मौखिक तथा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किया परन्तु निम्न न्यायालय ने उपर्युक्त सभी तथ्य को नजर अंदाज करते हुए दिनांक 15.12.08 को आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी उन्हें 02.01.2009 को हुई तथा आदेश की प्रति 06.01.09 को प्राप्त हुआ, बिहार सरकार कर्मचारी के हड़ताल के चलते समय पर अपील दायर नहीं कर सका जिसके लिए विलम्ब माफी हेतु आवेदन पत्र भी दाखिल किया है।

अभिलेख के अवलोकन से दिनांक 19.02.2009 को उनके अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंगीकृत कर दिया गया।

विपक्षी सोमारी सिंह द्वारा कोई आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है जैसे कि अभिलेख के अवलोकन से पता चला। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चौथम ने दिनांक 11.08.10 को विपक्षी सोमारी सिंह की मृत्यु की सूचना देते हुए उनके पुत्र रिंकु सिंह को उनके जगह परक्षकार बनाने का अनुरोध किया था जिसका जिक्र अभिलेख के दिनांक 25.01.11 के आदेश में उल्लेख है। विपक्षी सं० 3 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, चौथम ने दिनांक 15.02.12 को एक आवेदन देकर कहा है कि न्यूनतम मजदूरी की धारा 20 की उप धारा 6 एवं 6 'क' के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत अपील दायर नहीं किया गया है इसलिए सुनने योग्य नहीं है, उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–'A' के तहत अंचल अधिकारी चौथम के आदेश के अनुपालन में दावा राशि का 50 प्रतिशत न्यायालय में जमा नहीं कराया गया है, जो उपर्युक्त अधिनियम का उल्लंघन है एवं सुनवाई योग्य नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है जिससे कामगार को अभी तक बकाये मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका। उन्होंने अपीलकर्त्ता का अपीलवाद को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अपिलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चौथम को भी सुना। मृत विपक्षी सोमारी सिंह के उत्तराधिकारी पुत्र रिंकु सिंह अनुपस्थित। अंचल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश का गहन विश्लेषण किया। अंचल पदाधिकारी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
2	3

विधेवत पक्षकारो की गवाही तथा उन्हें सुनकर आदेश पारित किया है। अंचल पदाधिकारी चौथम द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की गलती नहीं पाते हुए इसे अक्षुण्ण रखा जाता है तथा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता
खगड़िया।

अपर समाहर्ता
खगड़िया।